झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

–: संकल्प :–

विषयः झारखण्ड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली–2025 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली–1993 में कई बिन्दुओं पर स्पष्टता के अभाव के कारण विभाग द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन परिचालित किये गये, जिसमें एकरूपता के अभाव एवं विरोधाभाष के कारण प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु अनेक न्यायिक वाद दायर किये गये।

2. प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली–1993 में स्नातक प्रशिक्षित कला एवं विज्ञान संवर्ग में प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची तैयार करने का उल्लेख है, परन्तु वर्त्तमान में स्नातक प्रशिक्षित सामाजिक विज्ञान (वाणिज्य सहित), विज्ञान एवं गणित तथा भाषा संवर्ग में सृजित पदों के विरूद्ध प्रोन्नति हेतु पृथक वरीयता सूची तैयार करने की बाध्यता है।

तदनुसार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली–1993 के स्थान पर नयी नियमावली का गठन करना आवश्यक है, ताकि शिक्षकों को प्रोन्नति नियमानुसार दी जा सके।

3. उपर्युक्त के आलोक में राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली–1993 की समीक्षा हेतु विभागीय पत्रांक–879 दिनांक 12.07.2024 द्वारा उक्त नियमावली के स्थान पर नयी प्रोन्नति नियमावली तैयार करने हेतु संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड राँची की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। समिति के सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श कर सर्व सम्मति से झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली–2025 का प्रस्ताव एवं इससे संबंधित अधिसूचना प्रारूप उपलब्ध कराया गया।

4. प्रस्ताव एवं अधिसूचना प्रारूप पर विधि विभाग के द्वारा विधिक्षा की गई। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं वित्त विभाग झारखण्ड द्वारा अधिसूचना प्रारूप पर सहमति प्रदान की गई।

5. विभागीय संलेख ज्ञापांक–784 दिनांक 04.06.2025 द्वारा झारखण्ड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली–2025 पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 20.06.2025 को मद संख्या–07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

6. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में अधिसूचना संख्या–909 दिनांक 01.07.25 निर्गत है।

यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इसे झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में जन साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाये।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

01/07/25

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 14/व.1–41/2023 910 / राँची, दिनांक 01/07/2025

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 (पांच सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) को अविलंब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

01/07/25

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 14/व.1–41/2023 910 / राँची, दिनांक 01/07/2025

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव तथा सभी विभागध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची/निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी./निदेशक, झारखण्ड राज्य मध्याहन भोजन प्राधिकरण/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/07/25

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव।